बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री राम कल्याण मंडल, आपूर्ति निरीक्षक, भरगामा, अररिया के विरूद्ध समादेश याचिका संख्या–9965/2023 में वरीय पदाधिकारी से तथ्य छुपाकर माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने जिसके फलस्वरूप संज्ञान में आने पर पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने की स्थिति उत्पन्न होने, अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली दुकानों का निर्धारित मात्रा में निरीक्षण नहीं करने, अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के बावजूद भी दिग्भ्रमित करते हुए संबंधित पैक्स दुकानों को नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने, अपने नियंत्री पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन प्राधिकार से बिना किसी सूचना/आदेश प्राप्त किये ही शंकरपुर पैक्स एवं नया भरगामा पैक्स अध्यक्ष के विरूद्ध भरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित करने, फारबिसगंज अनुमंडल अन्तर्गत माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2024 में AePDS साईट पर ऑन लाईन राशन वितरण प्रतिशत सबसे कम रहने के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने, लगभग 30 से 40 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को गोदाम ले जाकर महिला सहायक गोदाम प्रबंधक, भरगामा सुश्री विनिता कुमारी के साथ अभद्र व्यवहार करवाने में संलिप्त पाये जाने तथा इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब अब तक समर्पित नहीं किये जाने, जनसंख्या के आधार पर भरगामा प्रखंड का eKYC का कार्य राज्य के औसत से बेहद कम होने तथा इस कार्य में अभिरूचि नहीं लेने, भरगामा प्रखंड अन्तर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा सामुहिक रूप से की गई शिकायत के आलोक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज की अध्यक्षता में गठित संयुक्त टीम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रताड़ित/भयादोहन करने के साथ गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य में सम्मिलित कर अवैध रूप से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से हर माह 2000–2500/– रूपये तक की अवैध राशि की वसूली करने, बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के आदेश का उल्लंघन करने, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने संबंधित गंभीर आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार श्री मंडल द्वारा सरकारी कार्य तथा अपने कर्त्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता/ स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारियों के निदेशों के निदेशों की अवहेलना एवं अवैध राशि की उगाही किये जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री मंडल के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री राम कल्याण मंडल, आपूर्ति निरीक्षक, भरगामा, अररिया से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सात (07) दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी

04/09/25

बतायें कि जिन आरोप के मदों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्री मंडल को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन सात (07) दिनों के अन्दर तक नहीं प्राप्त होगा, तब निलंबन एवं विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

04/6/25

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(अररिया)–07/2025 894 खाद्य, पटना/दिनांक– 04.06.2025

प्रतिलिपि–1. श्री राम कल्याण मंडल, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, भरगामा, जिला–अररिया, मो0–8789386475, E-Mail ID : ramkalyanmandal310@gmail.com को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0–यथोक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया/अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया (E-Mail ID : sdofbg@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/6/25

सरकार के उप सचिव।